

Ur - 202 89 24/3/22

Bill Type : Normal

nt Date - 22-3-2022

ansaction ID - WO3801422903221001

आकस्मिक देयक प्रपत्र  
वित्तीय नियम संग्रह खंड पाँच भाग -१  
(देखे अध्याय - आठ , प्रपत्र 178, 180, 182, 183)

E-Sign

1- वन्द का नाम : पिथौरागढ़  
2- कोषागार का नाम : बेरीनाग  
की 2 अधि कब से ..... कब तक

1 0 3

3 8 0 1

3 1

0

: मतदेय

5 0 5 4 0 4 3 3 7 0 3 0 4 5 4

लेखाशीर्षक सम्बन्धी विवरण

मुख्य लेखाशीर्षक - (5054)सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय  
उप मुख्य लेखा शीर्षक - (04)District and other Roads  
लघुशीर्षक - (337)सड़क निर्माण कार्य  
उपशीर्षक - (03)राज्य सेक्टर  
ब्योरेवार शीर्षक - (04)एन0पी0बी0 का भुगतान (5054-04-800-03-07 से स्थानान्तरित)

वाउचर दिनांक

कोषागार का कोड  
की क्रम संख्या  
संख्या (कोषागार द्वारा भरा जाना है)

व्यवहारित  
1- लेखाशीर्षक सम्बन्धी 13 अंको का कोड (4  
मुख्य लेखाशीर्षक +  
उपमुख्य शीर्षक +3 लघुशीर्षक+2  
उपशीर्षक+2 ब्योरेवार शीर्षक)

आहरण वितरण अधिकारी का पदनाम : अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

आहरण वितरण अधिकारी का कोड : 4 2 2 9

12- अधिष्ठान का नाम (पिथौरागढ़) : अधिशासी अभियंता अस्थाई विभाग पी डब्लू डी बेरीनाग

13- अनुदान संख्या : (022)लोक निर्माण कार्य

Connect अनुदान संख्या 14- सोर्स कोड : 1

15- सेक्टर कोड : 2 16- स्वीकृति आदेश (यदि आवश्यक हो, प्रतिलिपि संलग्न करें)

बजट की वर्तमान स्थिति

मानक मद का नाम व कोड	आवंटित कुल बजट	इस बिल को सम्मिलित करते हुए	अवशेष बजट
54-भूमि क्रय	35909536	35909536	0

भुगतान का विवरण

मानक मद का कोड एवं नाम	धनराशि
54-भूमि क्रय	50,35,695
66 देयक की सकल धनराशि (अग्रिम समायोजन के बाद)	50,35,695

ONLY FOR OFFICIAL USE

कटौतियों का कोड सहित विवरण

77- सम्पूर्ण कटौतियां	-
99 शुद्ध देय धनराशि 66-77	50,35,695

किया जाता है कि इस देयक में प्रस्तुत किया गया दावा सही एवं नियमानुसार देय है तथा पूर्व में आहरित नहीं किया गया है। संगत नियमों एवं आदेशों की औपचारिकतायें पूर्ण करने के बाद देयक प्रथमबार प्रस्तुत किया जा रहा है। देयक के अवयवों की प्राप्ति स्वीकार की जाती है।

आहरण वितरण अधिकारी के हस्ताक्षर

नियंत्रक/प्रतिहस्ताक्षरकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

राज्यीय विभागाध्यक्ष  
अस्थाई खण्ड लो० ति० बि०  
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

अधिशासी अभियंता  
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
केरीनाग (पिथौरागढ़)  
कोषागार/उपकोषागारों के प्रयोग हेतु

(केवल काउन्टरसाईड कटौतियों के प्रकरण  
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग  
(पदनाम एवं कार्यविवरण सहित))

₹ 50,35,695 (Rupees Fifty Lacs Thirty Five Thousand Six Hundred Ninety Five Only) भुगतान हेतु पारित किया जाता है।

₹ 50,35,695

Beneficiary	Account Type	IFSC CODE	Account No	Gross Amount	Total Deduction	Advance Amount	Net Amount
01422903221003 Branchal Campa	Saving	UBIN0903710	150896138955547	5035695	0	0	5035695
				<b>5035695</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5035695</b>

  
 शाखावादी/अशाखावादी  
 खाता संख्या, लोक निर्माण विभाग  
 के कार्यालय (विशेषकर)



## भुगतान आदेश


कार्यालय के अन्तर्गत सम्पादित करायो जा रहे निम्नलिखित योजनाओं के सापेक्ष प्राप्त देयक की विलम्बित स्वीकृति एतद्वारा तदान की जाती है। वर्तमान प्रस्तुत उक्त भुगतान की राशि निम्नलिखित / एमओएगु में निहित राशि के अनुरूप है।

योजना का नाम	सम्बन्धित डेकेटर / कर्म दिवसों निम्नलिखित स्वीकृत हुई है।	योजना हेतु स्वीकृत धनराशि (₹0 में)	अनुभव की धनराशि (₹0 में) + जीएनएटीओ की राशि अतिरिक्त राशि	पूर्व में किए गए भुगतान की राशि (₹0 में)	शेष धनराशि (₹0 में)	यक संख्या	वर्तमान में पारित धनराशि जीएनएटीओ सहित (₹0 में)	शेष धनराशि की राशि (₹0 में)
2	3	4	5	6	7	8	9	10
व्यक्तिगत ले भर्खा एगुडा निम्नलिखित मल 4024 मो-मो	व्यक्तिगत	5035695.00	5035695.00	—	—	Final	5035695.00	

कार्यालय अधिसूचना, अख्तियार खण्ड लोडिंग/शिपिंग, वेशीनागा  
पत्रांक २२७ / अख्तियार खण्ड

दिनांक २२/०३/२०२२

- प्रतिनिधि - 1- सम्बन्धित डेकेटर  
2- देयक हेतु  
3- उपकोषाधिकारी वेशीनागा।

  
 अधिकारी, अख्तियार खण्ड, वेशीनागा  
 (अख्तियार खण्ड, वेशीनागा)

Passed for Rs 50,35,695/-

Head of Account

Bhatgara Fodiyali Nayal Paryam/R

FORM No. - 28 HAND RECEIPT

(See Chap XIV, para 440, 446 and 460)

महात्मा जयप्रकाश आशुतोष  
अ० ख० लो० नि० वि०  
पिथौरागढ़ (विद्योरागढ़)

Book Voucher No.

89 24/3/22

dated

Paid by Cheque/Cash Rupees (50,35,695/-)

to C.A.M.P.A

Paid by me

RECEIVED from the E.E. Ty. Div. in charge of P.W.D. Berinag

Division A.E. Division the sum of the

Fifty Lakh thirty five thousand six hundred

of work for purpose for which is made Monthly file only

144/25 budget (N.P.V.)/2021-22

28/2/22 (Amount in Vernacular)

380142290322401 C/S For Rs 50,35,695/-

22-2-22 Rs 50,35,695/-

Signature of Payees

बिबेक चन्द, ए०.नि०.वि०  
पिथौरागढ़

E. E.

COPY

Union Bank of India



for CAMPA Funds

TY DIV PWD BERINAG

8955547

JCP/06/92/2020/FC

ARANCHAL

3 Berinag Pithoragarh

5694.4/-

ty-Five Thousand Six Hundred

as per following

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896138955547 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150896138955547 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com





कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग



फोन नं०- 05964-244117 फैक्स नं०-05964-244622 ई-मेल-eePWDberinag@rediffmail.com

पत्रांक 1635 / 27सी  
सेवा में,

दिनांक 28 / 09 / 2022

प्रभागीय वनाधिकारी  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषय:- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत भाटगाड़ा फडियाली नायल पम्पा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.60 हे० वनभूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

संदर्भ :- भारत सरकार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8बी/यू०सी०पी० / 06/92/2020/एफ०सी०/750 दि 22.09.2021(प्रति संलग्न)

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित सैद्धान्तिक स्वीकृति के आदेश के कम में सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों की अनुपालन आख्या बिन्दुवार निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है।

क्र० सं०	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त (प्रश्न)	अनुपालन आख्या (उत्तर)
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	मान्य है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सोपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	मान्य है।
3	<b>प्रतिपूरक वनीकरण</b> (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 7.2हे० सिविल सोयम भूमि ग्राम काकड़ा खसरा संख्या 157,159,160,322,323,393,1034,1038,1104,1129,1170,1171,1305,1342, 1395,1399,1375,436,1485,1578,1580,1581में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें। (ख) गैर वानिकी भूमि को राज्य वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं रूपान्तरित किया जाएगा। भूमि के हस्तान्तरण नामान्तरण एवं Notification करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी। guideline para 2.4 (i) के अनुसार ऐसे क्षेत्र जो वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है एवं प्रतिपूरक वनीकरण हेतु विभिन्न प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये हैं, को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जाना आवश्यक है।	मान्य है।
	(ग) वन मंडल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा की उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	मान्य है।

29-9-22

पिथौरागढ़ वन प्रभाग  
पिथौरागढ़



	(घ)The KML files of the area to be diverted, the CA areas,the proposed SMS work proposed catch ment Area Treatment area and the WLMP area Shall be aploaded the e- green watch portal with all requisite details before issuing working permission towords liner project or submitting compliance report for seeking Stage-ii approval,as the case may be.	मान्य है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षति किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	शर्त संख्या-4 के अनुपालन में क्षतिपूर्ती वृक्षारोपण की धनराशि बाऊचर संख्या 89 दिनांक 24-03-2022(आई0डी0W038014229 03221001 दिनांक 22-03-2022) के द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। बाऊचर की हार्ड कापी 5-5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य- (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (Pr- 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ. सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा-निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.6 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावतन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी। (ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	शर्त संख्या-5 के अनुपालन में एन0पी0वी0 की धनराशि बाऊचर संख्या89दिनांक24-03-2022(आई0डी 0W03801422903221001 दिनांक 22-03-2022) के द्वारा वनविभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। बाऊचर की हार्ड कापी 5-5 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।उक्त आख्या आनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
		मान्य है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा एवं प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या प्रस्ताव के अनुसार 105 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	मान्य है।
7	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल ( <a href="https://parivesh-nic-in">https://parivesh-nic-in</a> ) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानान्तरित/जमा किये जाएंगे।	मान्य है।
8	गाईडलाईन्स में दिये गए दिशा-निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवित् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारंभ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।	मान्य है।
9	एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	मान्य है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	मान्य है।
11	संरक्षति क्षेत्रों /वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ सुनिश्चित	मान्य है।



आदेश

27. 06/09/2022  
भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून के पत्र संख्या-8बी/यू.सी.पी./06/92/2020/एफ.सी./750 दिनांक 22.09.2021 के द्वारा जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत गंगोलीहाट में भाटगाड़ा-फडियाली-नायल-पम्था तक मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 3.600 हे० वन भूमि के बदले दोगुनी 7.200 हे० राज्य भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की शर्त पर वन भूमि हस्तान्तरण की सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है।

राजस्व अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2173/XVIII(II)/2012-18 (120)/2010 दिनांक 17.12.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत गंगोलीहाट में भाटगाड़ा-फडियाली-नायल-पम्था तक मोटर मार्ग निर्माण में ली जा रही 3.600 हे० वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम काकड़ा पट्टी गणाई तहसील गणाई गंगोली के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या-24 श्रेणी-10(4) बंजर नाकाबिल आवाद के खेत नम्बर 157 रकवा 0.300 हे०, 159 रकवा 0.305 हे०, 160 रकवा 0.190 हे०, 322 मध्ये रकवा 0.800 हे०, 323 मध्ये रकवा 2.040 हे०, 393 रकवा 0.255 हे०, 436 रकवा 0.130 हे०, 1034 रकवा 0.165 हे०, 1038 रकवा 0.121 हे०, 1104 रकवा 0.101 हे०, 1129 रकवा 0.265 हे०, 1170 रकवा 0.190 हे०, 1171 मध्ये रकवा 0.120 हे०, 1305 रकवा 0.170 हे०, 1342 मध्ये रकवा 0.153 हे०, 1375 रकवा 0.650 हे०, 1395 रकवा 0.315 हे०, 1399 रकवा 0.130 हे०, 1485 मध्ये रकवा 0.265 हे०, 1578 रकवा 0.230 हे०, 1580 रकवा 0.135 हे०, 1581 मध्ये रकवा 0.170 हे० कुल 22 खेतों की 7.200 हे० सिविल भूमि वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तहसीलदार, गणाई गंगोली स्वीकृत भूमि का हस्तान्तरण/नामान्तरण वन विभाग के नाम करना सुनिश्चित करें।

दिनांक अगस्त, 26, 2022

(डॉ० आशीष चौहान)  
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़।

संख्या- 2594/सात-66 /2021-22

दिनांक अगस्त, 26, 2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-  
प्रभागीय वनाधिकारी पिथौरागढ़।

प्रभारी अधिकारी वन, जिला कार्यालय पिथौरागढ़।

उप जिलाधिकारी गंगोलीहाट।

तहसीलदार गणाईगंगोली को प्रश्नगत भूमि के खसरे की प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियमानुसार स्वीकृत भूमि का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण/नामान्तरण सुनिश्चित करें।

5. अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बेरीनाग।

(डॉ० आशीष चौहान)  
जिलाधिकारी, पिथौरागढ़।

OLC









## प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है, कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 एवं वन संरक्षण नियमावली 2003 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट में भाटगाडा फडियाली नायल पम्प्या मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.60 हे० वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० बेरीनाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त कार्य हेतु वन विभाग को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम काकडा पट्टी गणाई, तहसील गणाई गंगोली के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता सं०-23 श्रेणी-10(4) बंजर नाकाबिल आबाद के कुल 22 खेतों की 7.20 हे० सिविल भूमि प्राप्त है। उक्त भूमि राजस्व विभाग के स्वामित्व से वन विभाग के स्वामित्व में कार्यालय जिलाधिकारी पिथौरागढ़ के पत्रांक 2594/सात-66/2021-22 दिनांक 26.08.2022 से हस्तांतरित कर वन विभाग के पक्ष में अमल दरामद दर्ज कर दिया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु इसका कब्जा वन विभाग के पक्ष में कर लिया गया है। अधिसूचना संख्या 869-F/638 दिनांक 17.10.1893 तथा उत्तरप्रदेश शासन की पत्र सं० 1506/14-2-97-800(II)/1997 दिनांक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है, जिसे पुनः पृथक से संरक्षित वन क्षेत्र घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

वन संरक्षक,  
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

  
प्रभारणीय वनाधिकारी,  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

  
वन विकाश अधिकारी  
गंगोलीहाट  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

  
उपराधिकारी  
जनकाल अंगु